



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण 1943 (श0)

(सं0 पटना 974) पटना, मंगलवार, 30 नवम्बर 2021

IE 18@ft0i0&05&01@2020-14142/सा0प्र0
I keU; ii'kk lu foHkkx

vf/k l ipuk

29 नवम्बर 2021

fo"K; %& o'l'kkyh ftykUrxir jk?kkiij vpy d iekt&ldckjiij] Fkkuk l0&341 d
fofHkUu [kkrk ,o [kljk dk jdck&100-84 ,dM j; rh Hkfe ,o 230-74
,dM ljdkjh Hkfe lfgr dy jdck&331-58 ,dM %Hkfe fooj.kh l:yXu]
ifjf'k"V&I½ rFkk lkj.k ftykUrxir lkuij vpy d iekt&lcyiij] Fkkuk
l0&169] 170] ekt&igyitk] Fkkuk u0&168] pknj l0&02 ,o 03 d
vUrxir vofLFkr vlof{kr Hkfe@Vvik yI.M dk dy vuekfur jdck&
13005420 oxI ehVj vFkkir 3212-18 ,dM %Hkfe fooj.kh l:yXu]
ifjf'k"V&I½ dk Øe'k% o'l'kkyh ftyk ,o lkj.k ftyk d i'kk lfud
{k=kf/kdkj l gVkr g, iVuk ftyk d i'kk lfud {k=kf/kdkj e lfufgr
dju d lc/k eA
vkn:'k %& LohdrA

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दि0-11.09.2019 को सम्पन्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से किए जानेवाले कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में नदियों की धारा के परिवर्तन के आलोक में वर्तमान भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों की भौगोलिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु समुचित कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश प्राप्त हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-11675, दि0-22.12.2020 द्वारा आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को नदी एवं उसके दियारा तथा अन्य कारणों से उत्पन्न सीमा विवादों के निपटारा एवं जिलों के बीच भौगोलिक सीमा निर्धारण हेतु आवश्यक कार्रवाई के पश्चात प्रस्ताव/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना की अध्यक्षता में पटना, सारण तथा वैशाली जिलों के बीच गंगा एवं गंडक नदी तथा उसके दियारा के सीमा निर्धारण विषय पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दि०-20.12.2019 एवं दि०-26.02.2020 को सम्पन्न बैठक के आलोक में समाहर्ता, वैशाली एवं समाहर्ता, सारण द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत (मुजफ्फरपुर) के माध्यम से वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर अंचल के मौजा-सुकुमारपुर, थाना सं०-341 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का रकबा-100.84 एकड़ रैयती भूमि एवं 230.74 एकड़ सरकारी भूमि सहित कुल रकबा-331.58 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) तथा सारण जिलान्तर्गत सोनपुर अंचल के मौजा-सबलपुर, थाना सं०-169, 170, मौजा-पहलेजा, थाना नं०-168, चादर सं०-02 एवं 03 के अन्तर्गत अवस्थित असर्वेक्षित भूमि/टोपो लैण्ड का कुल अनुमानित रकबा-13005420 वर्ग मीटर अर्थात् 3212.18 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-II) को क्रमशः वैशाली जिला एवं सारण जिला के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से हटाते हुए पटना जिला के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

2. समाहर्ता, वैशाली एवं समाहर्ता, सारण के उपर्युक्त प्रस्ताव पर क्रमशः आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर एवं आयुक्त, सारण प्रमण्डल, सारण की सहमति प्राप्त है।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित सारण जिले का अभिलेख सं०-03/2020-21 एवं वैशाली जिले का अभिलेख सं०-02/2019-20 आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक-79/रा०, दिनांक 16.01.2021 के माध्यम से अग्रतर कार्रवाई की अनुशंसा के साथ प्राप्त है।

4. उक्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा पर विचार के क्रम में पाया गया कि वैशाली एवं सारण जिला के उक्त दियारा क्षेत्रों के भौगोलिक स्वरूप के कारण प्रशासनिक नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहती हैं। अतः बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण बनाये रखने हेतु सारण एवं वैशाली जिला के उक्त क्षेत्रों को पटना जिला के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

5. उक्त तथ्यों के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर अंचल के मौजा-सुकुमारपुर, थाना सं०-341 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का रकबा-100.84 एकड़ रैयती भूमि एवं 230.74 एकड़ सरकारी भूमि सहित कुल रकबा-331.58 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) तथा सारण जिलान्तर्गत सोनपुर अंचल के मौजा-सबलपुर, थाना सं०-169, 170, मौजा-पहलेजा, थाना नं०-168, चादर सं०-02 एवं 03 के अन्तर्गत अवस्थित असर्वेक्षित भूमि/टोपो लैण्ड का कुल अनुमानित रकबा-13005420 वर्ग मीटर अर्थात् 3212.18 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-II) का क्रमशः वैशाली जिला एवं सारण जिला के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से हटाते हुए पटना जिला के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में सन्निहित किया जाता है।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत गठित "सचिवों की समिति" की सहमति प्राप्त है।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

fcgkj jkT;iky d vkn'k l]
jpuk ikfVy]
ljdkj d vij lfpoA

Hkfe fooj.kh ¼ ifjf'k"V&I½
o'kkyh ft yk l iVuk ft yk e l fUufgr gkuokyh Hkfe

Ø0	ek t k@Fkkuk u0	vpy	j; rh Hk&[k.M dk fooj.k			vfHk; fDr
			[kkrk l0	[k ljk l0	jdok ¼, dM e½	
1.	सुकुमारपुर / 341	राघोपुर	155 73 वगैरह	816 817 वगैरह	100.84	रैयती

Ø0	ek t k@Fkkuk u0	vpy	ljdkjh Hk&[k.M dk fooj.k			vfHk; fDr
			[kkrk l0	[k ljk l0	jdok ¼, dM e½	
2.	सुकुमारपुर / 341	राघोपुर	302 वगैरह	815 820 892 893 988 989 990	230.74	बिहार सरकार की भूमि
dy&					331-58 , dM	

jpuk ikfVy]
ljdkj di vij lfpoA

Hkfe fooj.kh ¼ ifjf'k"V&I½
l kj.k ft yk l iVuk ft yk e l fUufgr gkuokyh Hkfe

ek t k@Fkkuk u0	vpy	ijc l if'pe dh yEckb	mÜkj l nf{k.k pKmbi ¼ iVuk ft yk di oÜkeku ?kkVki l ½	dy vuekfur {k=Qy	pkgíh
सबलपुर 169, 170	सोनपुर	9175.60 मीटर	1215.24 मीटर	11150556 वर्ग मीटर	उ0—सबलपुर अंश द0—जिला पटना पू0—जिला वैशाली प0—पहलेजा
पहलेजा 168 चादर 02	सोनपुर	1448 मीटर	1226 मीटर	1775248 वर्ग मीटर	उ0—पहलेजा अंश द0—जिला पटना पू0—सबलपुर प0—पहलेजा चादर 03
पहलेजा 168 चादर 03	सोनपुर	400 मीटर	126 मीटर	79616 वर्ग मीटर	उ0—पहलेजा अंश द0—जिला पटना पू0—पहलेजा प0—दीघा (पटना)
dy&				13005420 ox' ehVj vFkkir 3212-18 , dM: ¼ vuekfur ½	

नोट :-

1. पूर्व दिशा से पश्चिम तक सबलपुर से पहलेजा मौजा-चादर 03 तक हस्तान्तरण हेतु कुल प्रस्तावित भूमि 13005420 वर्ग मीटर अर्थात् 3212.18 एकड़ होता है। यह क्षेत्र वर्तमान में सारण जिला अन्तर्गत है।
2. पूर्व दिशा में सारण जिला का अन्तिम छोर चिमनी घाट (कंगन घाट) है।
3. पश्चिम दिशा में सारण जिला अन्तर्गत जे०पी० सेतु पाया सं०-०१ से १० तक जिला पटना को हस्तान्तरित हेतु प्रस्तावित है।
4. हस्तान्तरण हेतु सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नवत है :-
उत्तर-सारण घाट से लेकर जे० पी० सेतु पाया सं०-१० तक (पूर्व-पश्चिम)
दक्षिण-पटना के घाट
पूरब-वैशाली जिलान्तर्गत कंगन घाट का क्षेत्र
पश्चिम-जे० पी० सेतु पाया सं०-०१ से १० तक

jpuk ikfVyl
ljdkj di vij lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 974-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>